NAME OF THE COLLEGE – Godda College, Godda

SL NO	DATE	NAME OF THE TEACHER	SUBJECT	SEM	TOPIC	MODE ADOPTED
01	24.04.2020	Md Mahtab Ahmad	CC-08	B.Ed 2nd year	School organization concept	Pdf
02	25.04.2020	Md Mahtab Ahmad	CC-08	B.Ed 2nd year	Major components of School organization	Pdf
03	27.04.2020	Md Mahtab Ahmad	CC-08	B.Ed 2nd year	Basic Principles of School Organization	Pdf

Scanned by CamScanner

Basic Principles for the functioning of School Organisation

(1) कार्यकर्त्ताओं के सहयोग का नियम – विद्यालय कार्यों में सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना अति आवश्यक है। इसी से विद्यालय की प्रभावशीलता बढ़ती है तथा कार्य-उपलब्धि अधिक होती है। प्रजातान्त्रिक विद्यालय संगठन का यह मौलिक नियम माना जाता है।

(2) उचित निर्णय का नियम – शैक्षिक संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों द्वारा लिये गये कार्य, समस्याओं तथा विभिन्न पदों सम्बन्धी उचित निर्णयों पर निर्भर होती है। अतः यह नियम अधिक महत्वपूर्ण है।

(3) समान अवसर प्राप्त करने का नियम – शिक्षा के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को उनके कार्य संबन्धी अलग-अलग क्रियाओं में भाग लेने संबन्धी आदि अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। तब ही शिक्षा का बहुमुखी विकास सम्भव है।

(4) सामाजिक न्याय का नियम – आज शिक्षा को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में माना जा रहा है। अतः समुचित विकास हेतु सामाजिक न्याय को अपनाना आवश्यक है। इसी से सभी कर्मचारी में सम्प्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि का निराकरण सम्भव हो सकेगा।

(5) स्वतन्त्रता का नियम – प्रजातान्त्रिक शैक्षिक संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों, विचारों, भाषा, लेखों आदि में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी आवश्यक है। इसी के द्वारा वह अपने शैक्षिक जीवन को उन्नत कर सकता है।

(6) नेतृत्व का नियम – वास्तव में जिस प्रकार प्रजातंत्र की सफलता उसके समुचित नेतृत्व में निहित होती है। उसी प्रकार शैक्षिक विद्यालय संगठन का नियोजन, संगठन, निर्देशन, प्रशासन आदि सभी कार्यों में समुचित नेतृत्व की आवश्यकता है।

(7) उत्तरदायित्व का नियम – प्रजातांत्रिक शैक्षिक संगठन के इस नियम के अनुरूप सभी को अपने विद्यालय सम्बन्धी उत्तरदायित्व को स्वीकार करना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

(8) कार्य विभाजन का नियम – कार्य विभाजन नियम में शैक्षिक क्षेत्र सभी व्यक्तियों के कार्यों का उनकी क्षमता पर निर्भर करता है।

(9) उन्नतिशील दृष्टिकोण का नियम – अधिकारियों को निष्पक्ष एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिये। भेदभाव की भावना से परे निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिये। प्रत्येक सदस्य के में संस्था के प्रति श्रद्धा भाव, वफादारी एवं निष्ठा होनी चाहिए।

(10) कुशलता – विद्यालय संगठन में विभिन्न व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लक्ष्य रखा जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सुगमतापूर्वक कार्य सम्पन्न करना चाहिये।

(11) सहयोग एवं सम्पर्क का नियम – विद्यालय का संगठन सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए।

(12) लचीलेपन का नियम – विद्यालय के नियम और शर्तें कठोर नहीं होनी चाहिए। उनमें समयानुकूल लचीलेपन का गुण होना चाहिए। विद्यालय के संगठनकर्ता को इसी सिद्धान्त का पालन करना चाहिए।

Scanned by CamScanner